(100)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष–के0 सी0 जैन

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1294/94 विरूद्ध आदेश दिनांक 25.11.1995 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला रीवा प्रकरण कमांक 3/अ–19/92–93.

सुमन बहादुर अहिरवार तनय वैसाखू
निवासी गढ़वा लाखन खोरिहार तहसील
मऊगंज जिला रीवा म0प्र0

--- आवेदक

विरूद्ध

1–अवधशरण तनय अनुरूद्र प्रसाद
2–जानकी प्रसाद तनय सनत कुमार
3–रमेश कुमार तनय नन्द कुमार
सभी निवासी ग्राम गढ़वा लखन खारिहार
तहसील मऊगंज जिला रीवा म0प्र0
4– म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर
जिला रीवा म0प्र0

--- अनावेदकगण

आवेदक अधिवक्ता श्री ए0 के0 अग्रवाल
अनावेदकगण अधिवक्ता श्री आई.पी. द्विवेदी

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29–06–2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 544/ अपील/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 29.4.2011 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का सारांश यह है कि भूमि खसरा कमांक 146 के रकवा 0.31 एकड़ के जुज रकवा 0.15 एकड़ में वर्ष 1964 से मकान बनाकर आवाद है और उसका निस्तार है । वास सीन उखन कार अधिनियम के तहत पटट्ा दिया जाय, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण पंजीबद्व कर नायब तहसीलदार से जांच प्रतिवेदन मांगा गया ओर प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विवादित आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध अपील अपर कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत की जिसमें अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुये आदेश पारित करें, जिससे दुखी होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक समन बहादुर का सन् 1980 के पूर्व से मकान बना है व आवेदक इसी भूमि पर परिवार के साथ निवास कर रहा है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर ही आवेदक को म0प्र0 शासन वास स्थान दखलकार अधिनियम 1980 के तहत निर्णय किया जाकर आवेदक के हक में भूमि हक प्रदान किया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने अपने तर्क में बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस बिन्दु पर विचार नहीं किया कि अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन का स्थल जांच अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 कोविचारोपारंत दिनांक 25.2.94 को

निरस्त कर दिया था जिससे अब पुनः उसी बिन्दु पर जांच के लिये प्रकरण रिमाण्ड किया जाना न्यायसंगत नहीं है।

4– अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि तहसीलदार एवं पटवारी के प्रतिवेदन का आधार मानकर आदेश पारित किया है, उक्त प्रतिवेदन मौके पर जाकर नहीं बनाया गया है एवं न ही ग्रामवासियों के साक्ष्य लिये गये है जो साक्ष्य लिये गये है वह दूसरे ग्राम के व्यक्ति हैं अवधशरण आदि के आपत्ति का निराकरण विधिवत नहीं किया गया है। अंत में अनावेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जावे।

5–मेरे द्वारा अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये तथा उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से स्पष्ट है कि उनके द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह तहसीलदार के प्रतिवेदन एवं साक्ष्य लिये बगैर आदेश पारित किया है । अनुविभागीय अधिकारी को चाहिये था कि प्रतिवेदन प्राप्त कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिये था उसके पश्चात आदेश पारित करना था जिससे कोई भी पक्षकार न्याय दान से प्रभावित न हो।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अपर कलेक्टर का आदेश विधि विधान से सही है इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ, और प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज जिला रीवा को भेजा जाता है कि

वह इस न्यायालय से पारित आदेश दिनांक के तीन माह के अन्दर उभयपक्ष को सुनवाई एवं समुचित साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये अपना आदेश पारित करें। अपर कलेक्टर जिला रीवा का आदेश दिनांक 25.11.95 स्थिर रखा जाता है । प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है ।

(के. सी. जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल म0प्र0
ग्वालियर